फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा धौलपुर बनाम श्री हजारीलाल बगैरा।

किस्म मुकदमा:–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 12 सन् 2019
RCMS No. 2019/00027

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
15.04.2019	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी शंकरलाल मीणा प्राधिकृत अधिकारी, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा धौलपुर ने अप्रार्थी/ऋणी 1. श्री हजारीलाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जोशी, 2. श्री पवन कुमार पुत्र श्री हजारीलाल प्लॉट नं. 1, शिवनगर पोखरा धौलपुर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 24.12.2015 को 5,00,000/–रूपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– श्री हजारीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जोशी के नाम प्लॉट नं. 1 शिवनगर, पोखरा धौलपुर राज0 (एरिया 1600 वर्ग फीट बैंक रिकोर्ड के अनुसार) स्थित भूमि एवं भवन। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 29.05.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 19.06.2018 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 3,23,846/– रूपये मात्र दिनांक 18.06.2018 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है । हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का	

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति श्री हजारीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जोशी के नाम प्लॉट नं. 1 शिवनगर, पोखरा धौलपुर राज0 (एरिया 1600 वर्ग फीट बैंक रिकोर्ड के अनुसार) स्थित भूमि एवं भवन का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
धौलपुर (राज0)